कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 / **दिनांकः–** **2023**

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2022/4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 18 अगस्त 2023 को प्राधिकरण कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 134/8 में विधायक कोष से निर्मित होने वाले पुस्तकालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 में विधायक कोष से निर्मित होने वाले पुस्तकालय प्रयोजनार्थ आवंटन की अभिषंशा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी, बालरवा, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 किस्म बारानी तृतीय में पुस्तकालय प्रयोजनार्थ 0.0809 हैक्टर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 रकबा 0.0809 हैक्टर यानि 0–10 बीघा किस्म बारानी तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर स्वामित्व की भूमि है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। एम डी पी 2031 बिन्दु सख्या 5.6.5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुविधाएँ अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 30/08/2022 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवंटन नीति 2015 में सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। विधायक कोष से निर्मित होने वाले पुस्तकालय हेतु 0.0809 हैक्टर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 में विधायक कोष से निर्मित होने वाले पुस्तकालय प्रयोजनार्थ 809 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, बालरवा, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 किस्म बारानी तृतीय में पुस्तकालय प्रयोजनार्थ 0.0809 हैक्टर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 134/8 में विधायक कोष से निर्मित होने वाले पुस्तकालय प्रयोजनार्थ 809 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 में अंबेडकर भवन (सामुदायिक भवन) निर्माण हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 में अंबेडकर भवन (सामुदायिक भवन) निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

विकास अधिकारी, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 में अंबेडकर भवन (सामुदायिक भवन) निर्माण हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 क्षेत्रफल 1.5297 हैक्टर किस्म बारानी–तृतीय में आवेदित स्थल डॉ बी. आर अंबेडकर सर्व समाज सभा भवन हेतु सरपंच प्रतिनिधि श्री सांवर परिहार के साथ मौका देखा गया। खसरा संख्या 375 प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। आवेदित स्थल जोधपुर–बालरवा मुख्य सडक पर स्थित है। मौके पर 10×10 वर्गफुट लगभग की चबूतरी एवं एक थान निर्मित है। मौके पर शेष भूखण्ड खाली है। मौके पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर भवन का बोर्ड स्थापित किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी–31 अनुसार भू–उपयोग रूरल एरिया है। आवेदित भूमि एमडीपी की पूर्व दिशा में स्टेट हाईवे व पश्चिम दिशा में ग्रामीण रोड पर स्थित है। डीसीआर अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग में Public Utilities का सभी सडक की चौडाई पर अनुज्ञेय है। डीसीआर में सार्वजनिक भवन का अलग से उल्लेख नही है। नगर विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 11(8)नविवि/3/2020 के दिनांक 3.6.22 के अनुसार ग्रामीण भू–उपयोग सामाजिक सुविधायें अनुज्ञेय किये जा सकते है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

भूमि आवंटन नीति–2015 में सामुदायिक भवन हेतु 1500 वर्गमीटर तक भूमि [illegible] प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

अतः ग्राम बालरवा खसरा संख्या 375 में अम्बेडकर भवन (सामुदायिक भवन) हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

विकास अधिकारी, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 में अंबेडकर भवन (सामुदायिक भवन) निर्माण हेतु रकबा 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बालरवा के खसरा संख्या 375 में अंबेडकर भवन (सामुदायिक भवन) निर्माण हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 3 :: गौतम सभा, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में बालिका छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	गौतम सभा, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एंव बालिका छात्रावास हेतु राज्य सरकार को भिजवाने की अभिशंषा की गयी।

गौतम सभा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरुप प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं बालिका छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों / संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 05.07.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

गौतम सभा, जोधपुर का रजिस्ट्रेशन 39 / 1967–68 दिनांक 28 / 07 / 19[illegible] हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 की संलग्न है। डी.पी.आर संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में गौतम सभा, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में बालिका छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

गौतम सभा, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरुप प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं बालिका छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	गौतम सभा, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एंव बालिका छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 4 :: कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु राज्य सरकार को भिजवाने की अभिशंषा की गयी।

कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरुप प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों / संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर का रजिस्ट्रेशन 154/03–04 दिनांक 13/11/2003 को हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 की संलग्न है। डी.पी.आर संलग्न है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 05.07.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरुप प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	कंसारा समाज विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम मंथानिया के खसरा संख्या 09 में खेल मैदान हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम मंथानिया के खसरा संख्या 09 में खेल मैदान हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाने की अभिशषा की गयी।

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मथानिया द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम मंथानिया के खसरा संख्या 09 में खेल मैदान हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मथानिया के खसरा सख्या 09 में स्थित आवेदित भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। उक्त भूमि खसरा संख्या 9/15 व 9 के मध्य स्थित है। राजस्व जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 9/8 रकबा 0.4047 हैक्टर खसरा संख्या 9/10 रकबा 0.6475 हैक्टर खसरा संख्या 9/14 रकबा 0.8094 हैक्टर खसरा संख्या 9/9 रकबा 0.4047 हैक्टर व खसरा संख्या 9/15 रकबा 0.8094 हैक्टर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मथानिया राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मथानिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मथानिया के नाम दर्ज है। विद्यालय के नाम खेल मैदान हेतु पूर्व में कोई भूमि आवंटन नही हुई है बल्कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 9/8, 9/10, 9/14, 9/9 व 9/15 विद्यालय के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पक्की चार दिवारी बनायी जायेगी ताकि खसरा संख्या 9/15 विद्यालय को भूमि एवं प्राधिकरण का खसरा संख्या 9 का आंशिक भाग मिलाकर खेल मैदान बनाया जा सके।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एमडीपी/जेडडीपी अनुसार Rural Area में स्थित है व डीसीआर अनुसार प्ले ग्राउण्ड को 18 मी. व अधिक सडक मार्गाधिकार पर सडक अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मथानिया–II के खसरा संख्या 9, 9/15 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 20/04/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड़ समयावधि में उजर एतराज प्राप्त नही हुआ।

अतः ग्राम मथानिया–II के खसरा संख्या 9 में खेल मैदान हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मथानिया द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम मंथानिया के खसरा संख्या 09 में खेल मैदान हेतु 05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 09 में खेल मैदान हेतु 05 बीघा भूमि निःशुल्क आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 6 :: ढोली दमामी समाज विकास समिति को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली को खसरा संख्या 05 में ढोली दमामी समाज विकास समिति को छात्रावास व सामुदायिक भवन हेतु 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाने की अभिशंषा की गयी।

अध्यक्ष, ढोली दमामी समाज विकास समिति, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरुप प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गई जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 05.07.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

ढोली दमामी समाज विकास संस्थान का रजिस्ट्रेशन 114/07–08 दिनांक 10/08/2007 को हो चूका है। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 की संलग्न है। डी.पी.आर संलग्न है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त [illegible] 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center [illegible] अनुज्ञेय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में ढोली दमामी समाज विकास समिति जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष, ढोली दमामी समाज विकास समिति, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरुप प्रपत्र–अ एवं परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में ढोली दमामी समाज विकास समिति को छात्रावास व सामुदायिक भवन हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु रकबा 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 रकबा 5.5847 हैक्टर किस्म गै. मु. मगरा में आवेदित स्थल सार्वजनिक सभा भवन हेतु सरपंच प्रतिनिधि श्री सांवर परिहार के साथ मौका देखा गया। खसरा संख्या 120/2 प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। आवेदित स्थल खाली है। मौके पर आवेदित भूखण्ड डामर सडक के पास है। राजस्व रेकर्ड में डामर सडक का इन्द्राज नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है। उक्त भूमि एमडीपी–31 अनुसार ग्रामीण रोड पर स्थित है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार Public Utilities सभी सडक की चौडाई पर अनुज्ञेय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

आवंटन नीति 2015 में सामुदायिक केन्द्र हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 120/2 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' एवं परिशिष्ट–1 में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु रकबा 4000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 120/2 में सार्वजनिक सभा भवन हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन–5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सडक व 18 मी. सडक के जंक्शन पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 18.04.2023 को उ[illegible]/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में कोई आ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

पूर्व में उक्त प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसके प्रस्ताव संख्या 5 के निर्णयानुसार विगत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति का रजिस्ट्रेशन 24/जोधपुर वर्ष 1998–99 दिनांक 11/06/1998 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की सलंग्न है।

अतः कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति को न्याति नोहरे हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ध्यक्ष, कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में कौम सौदागरान (अन्सारी) विकास समिति को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–4
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि पिंजारा कौम विकास समिति को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में पिंजारा कौम विकास समिति को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, पिंजारा कौम विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु रियायती दर पर आवंटन का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सडक व 18 मी. सडक के जंक्शन पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 13.04.2023 को उजर एतराज/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

पूर्व में उक्त प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसके प्रस्ताव संख्या 6 के निर्णयानुसार विगत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

पिंजारा कौम विकास समिति का रजिस्ट्रेशन 157/जोधपुर 1997–98 दिनांक 18/10/1997 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020–2021,2021–2022 व 2022–2023 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

अतः पिंजारा कौम विकास समिति को न्याति नोहरे हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष, पिंजारा कौम विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु रियायती दर आवंटन का निवेदन किया गया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में पिंजारा कौम विकास समिति को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–4
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि मारवाड मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी के न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में मारवाड़ मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, मारवाड़ मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु भूमि रियायती दर पर आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू– उपयोग अरबन एरिया यू2 है और जेडडीपी की 30 मी. सडक पर स्थित है। जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 31.07.2023 को उजर एतराज/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में किसी प्रकार का उजर एतराज प्राप्त नही हुआ।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

मारवाड़ मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी का रजिस्ट्रेशन 174/जोधपुर 1998–99 दिनांक 18/02/1999 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2018–2019 , 2019–2020, 2020–2021 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

अतः मारवाड मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी को न्याति नोहरे हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 404–00 बीघा में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

अध्यक्ष, मारवाड़ मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु भूमि रियायती दर पर आवंटन का निवेदन किया गया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में मारवाड मुस्लिम घोसी समाज युवा सोसायटी को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–4
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2500 वर्गमीटर भूमि मोयला समाज विकास समिति को छात्रावास व न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में मोयला समाज विकास समिति को छात्रावास व न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, मोयला समाज विकास समिति, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 7500 वर्गमीटर भूमि छात्रावास व न्याति नोहरे हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भू– उपयोग अरबन एरिया यू2 है और जेडडीपी की 30 मी. सडक पर स्थित है। जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 31.07.2023 को उजर एतराज/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में किसी प्रकार का उजर एतराज प्राप्त नही हुआ।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

मोयला समाज का रजिस्ट्रेशन 159/2016–17 दिनांक 25/10/2016 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

अतः मोयला समाज विकास समिति को छात्रावास हेतु 1000 वर्गमीटर व न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने वास्ते भूमि एवं संपति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष, मोयला समाज विकास जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 7500 वर्गमीटर भूमि छात्रावास व न्याति नोहरे हेतु भूमि रियायती दर पर आवंटन का निवेदन किया गया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में मोयला समाज विकास समिति को छात्रावास व न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–4
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 12 :: कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था को ग्राम चौखा खसरा संख्या 45, 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषेषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था को ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर स्कुल, खेल मैदान व छात्रावास हेतु ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 में 30 बीघा भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 रकबा 806 बीघा किस्म गै. मु. पहाड जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार जेडडीपी अनुसार यू–2 में आरक्षित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 45 ग्राम चौखा रकबा 5 बीघा भूमि की पत्रावली शाखा में विचाराधीन नही है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नही है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31.07.2023 को 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में किसी प्रकार का उजर एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था का रजिस्ट्रेशन 239/जोधपुर/2014–15 दिनांक 10/02/2015 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 की सलंग्न है। डी.पी.आर. सलंग्न है।

अतः कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था के स्कुल, खेल मैदान व छात्रावास के आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वास्ते भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर स्कुल, खेल मैदान व छात्रावास हेतु ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 में 30 बीघा भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	कौम अब्बासियान (भिश्ती) शेखावटी, गोरावटी जुमले संस्था को ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 में 5000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–4
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 13	**::**	**ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी को (सामुदायिक भवन) न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत्।**

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

अध्यक्ष, शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सडक पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 13.04.2023 को उजर एतराज/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

पूर्व में उक्त प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसके प्रस्ताव संख्या 4 के निर्णयानुसार विगत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी का रजिस्ट्रेशन 89/जोधपुर 2002–2003 दिनांक 09/07/2002 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

अतः शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर को न्याति नोहरे हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष, शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ, परिशिष्ट–1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

क्र.स	निर्णय	जिसके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में शेख नीलगर मुस्लिम धोबी समाज वेलफेयर	उप[illegible]-4

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

	सोसायटी, जोधपुर को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में से स्थित भूमि 10000 वर्गमीटर भूमि जी.एस.एस. निर्माण हेतु अधीक्षण अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अधिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में से स्थित भूमि 10000 वर्गमीटर भूमि जी.एस.एस. निर्माण हेतु अधीक्षण अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता नगरवृत जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स में जी.एस.एस. निर्माण हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में से स्थित भूमि 10000 वर्गमीटर भूमि की मांग की हैं

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 कुल क्षेत्रफल 143.1900 हैक्टर किस्मगैर मुमकिन भाकर नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम है जिसमें से 10,000 वर्गमीटर भूमि पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर का कार्यालय एवं जी.एस. एस. निर्मित है तथा चार दीवारी की हुई है।

विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 1893 के कुछ भूखण्डों के सबंध में वाद विचाराधीन है लेकिन प्रश्नगत भूमि जो कि प्राधिकरण के कब्जे में है को आवंटन करने में कोई रोक नहीं है एवं आवेदित भूमि मौके पर चारदीवारी निर्मित है तथा प्रसारण निगम का कब्जा है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का उपयोग मास्टर प्लान पब्लिक यूटिलिटी है जिसमें जी.एस.एस. आवंटन अनुज्ञेय है, लेकिन मौके पर पहुंच मार्ग लगभग 20 से 24 फीट है।

भूमि आवंटन नीति–2015 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 30.06.2021 के बिन्दु संख्या 16 में प्रावधान है किआवंटन नीति के बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित आवंटन के अतिरिक्त आपति सूचना जारी करनी होगी बिन्दु संख्या 9 में राजकीय विभागों को आवंटन का प्रावधान है। अतः राजकिय विभागों को भूमि आवंटन के लिए उजरदारी जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर को जी.एस.एस. निर्माण हेतु 10,000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर 6500/– प्रति वर्गमीटर पर आवंटन की स्वीकृति प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निणयार्थ पेश है।

निर्णय

अधीक्षण अभियन्ता नगरवृत जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप प्रपत्र–स में जी.एस.एस. निर्माण हेतु ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में से 10000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन की मांग की गई हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में से स्थित भूमि 10000 वर्गमीटर भूमि कीमतन सशुल्क आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–6
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 में से स्थित 1045 वर्गमीटर भूमि भील (नायक) विकास समिति, जोधपुर को छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अधिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 में से स्थित 1045 वर्गमीटर भूमि भील (नायक) विकास समिति, जोधपुर को छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

अध्यक्ष भील (नायक) विकास समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर छात्रावास निर्माण हेतु 75 गुणा 150 फीट अर्थात् 1045 वर्गमीटर भूमि छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 01 कुल क्षेत्रफल 106.08 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम है जिसमें से पूर्व में सुमेर शिक्षण संस्थान एवं यूथ हॉस्टल के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार यह बेशकिमती भूमि नहीं है। यूथ हॉस्टल के पास में 75 गुणा 150 फीट भूमि रिक्त है जिसे 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।

विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 01 ग्राम बासनी तम्बोलिया में कोई वाद लम्बित नहीं है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित है जिसमें हॉस्टल अनुज्ञेय है।

आवेदित प्रकरण के संबंध में 15 दिवस की लोक सूचना प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें निर्धारित समय में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है :–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 145/जोधपुर/03–04 दिनांक 03.11.2003
4. संस्था के संविधान की प्रति
5. वितीय वर्ष 2020–2021, 2021–22, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर.

इस प्रकार सस्था द्वारा भूमि आवंटन नीति में उल्लेखित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जा चुके है।

इस भूमि आवंटन नीति–2015 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छात्रावास हेतु [illegible]टर भूमि आवंटन का प्रावधान है। आवेदित संस्थान द्वारा 1045 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

अतः ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 01 में भील (नायक) विकास समिति, जोधपुर को 1045. वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निणयार्थ पेश है।

निर्णय

अध्यक्ष भील (नायक) विकास समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर छात्रावास निर्माण हेतु 75 गुणा 150 फीट अर्थात् 1045 वर्गमीटर भूमि छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन मांग की गई है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 में से स्थित 1045 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन–6
02.	राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

तत्पश्चात् बैठक सधन्यावद समाप्त हुई।

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/ दिनांकः– 2023

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4563868

<u>परिशिष्ट –1</u>

श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18 अगस्त , 2023 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

01. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह , उपायुक्त जोन–3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री श्रवण कुमार , उपायुक्त जोन–6 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr.Hareetima
Designation : Secretary
Date: 2023.08.25 10:11:57 IST
Reason: Approved